

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(33)चिसवा/2/94, पार्ट-5

जयपुर, दिनांक : 05.10.2011

आ इ ए

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.03.2010, 20.10.2010 एवं 22.03.2011 की निरन्तरता में समेकित वेतन पर कार्यरत 71 चिकित्सकों एवं अनुबन्ध पर कार्यरत 55 चिकित्सकों कुल 126 चिकित्सकों की अनुबन्ध सेवा अवधि दिनांक 30.09.2011 को समाप्त होने के पश्चात अनुबन्ध सेवा अवधि नवीन अनुबन्ध करने की शर्त पर दिनांक 31.03.2012 तक अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, इस शर्त के साथ बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि विभाग में प्रकिमाधीन 904 चिकित्सा अधिकारियों के पदों की भर्ती के पश्चात इन चिकित्सकों को स्वतः ही सेवा से हटा दिया जावेगा।

ये आदेश वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी.संख्या 101103367 दिनांक 03.10.2011 के द्वारा प्रदत्त राहगलि के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

—ह—  
(सुनील कुमार शर्मा)  
शासन उप-सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1- प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
- 2- नि. सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 3- नि. सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4- उ. शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
- 5- समस्त शासीय आयुक्त, राजस्थान।
- 6- समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- 7- नि. सचिव (विश्वस्वस्था), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर।
- 8- समस्त आयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन राजस्थान।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- 10- समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
- 11- रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव


राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि0310/ए.टी./प.35/10/764

दिनांक:- 11/10/11

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, संबंधित
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा० सेवाएं, जोन-
- 3 संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी
- 4 समस्त प्रमुख चिकि० एवं स्वा० अधिकारी
- 5 सर्वर रूम, मुख्यालय।
- 6 संबंधित डिलिंग असिस्टेन्ट, संस्थापन शाखा।
- 7 आदेश/निजी पत्रावली।

  
अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।